R2303-III/06

S.P819970264
11-12-06

1. बद्रीप्रसाद
2. दयानिधि

दोनों पुत्रगण स्व. श्री रामकुमार ब्रा.

क्रमांक S.P819970264 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 11-12-06 को प्राप्त

3. विद्या प्रसाद (मृत) वारिस राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व. श्री विद्या प्रसाद

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

उक्त सभी क्र. 1 ता 3 निवासी गण ग्राम चंदई, थाना सोहागी, तह. त्योंथर, जिला-रीवा म.प्र. --- आवेदकगण

बनाम

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर
आ.क्र. 293
दिनांक 11.12.06

1. शारदा प्रसाद
2. विन्ध्यवासिनी प्रसाद

दोनों पुत्रगण श्रीनाथ

3. श्रीनाथ पुत्र स्व. श्री रामकुमार

4. श्रीमती जयकली पुत्री स्व. श्री रामकुमार

5. रामकली पुत्री स्व. श्रीरामकुमार

सभी निवासी गण ग्राम चंदई, थाना सोहागी, तह. त्योंथर जिला-रीवा म.प्र. ---- अनावेदकगण

अधीक्षक
कार्यालय जिलाध्यक्ष
जिला रीवा (म० प्र०)

निगरानी विरुद्ध निर्णय एवं आदेश अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म.प्र. दि. 11.7.06, जो उनके द्वारा प्र.क्र. 124 अपील/99-00 में पारित किया जाकर अपीलांटस की अपील खारिज की गई.

V. Mishra

क्रमशः ....

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 2303–तीन/2006 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–12–16	आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदक क्र0 1 से 3 की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । 2/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्र.क्र. 124/अपील/1999–00 में पारित आदेश दिनांक 11.09.2006 के विरूद्ध संहिता की 1959 (जिसे आगे संक्षेप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । 3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 11.09.06 विधि, प्रक्रिया के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ने अपने प्रश्नाधीन निर्णय आदेश दिनांक 11.09.06 में उक्त तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 07.10.96 का कोई हवाला नहीं दिया तथा केवल रामकुमार के वारिसान के नाम प्रश्नाधीन भूमि का वारिसाना नामांतरण की वैध ठहराया फिर भी अंत में अपर आयुक्त ने यह निष्कर्ष निकाला कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, त्योंथर का प्रश्नाधीन आदेश विधि सम्मत है, ऐसी स्थिति में यह साफ है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 07.10.96 पर अनुविभागीय अधिकारी, त्योंथर द्वारा तहसीलदार को जांच करने का	

जो आदेश व निर्देश दिया गया था, उसे उचित ठहराया, जबकि यदि उक्त वसीतयनामा व्यवहार वाद में चैलंज हो चुका है और व्यवहार न्यायाधीश द्वारा उक्त वसीयतनामा का गुणदोष पर निराकरण किया जा रहा है तो फिर राजस्व न्यायालय को वसीयतनामा पर जांच करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता । ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 11.09.06 त्रुटिपूर्ण है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा प्रतिउत्तर में तर्क प्रस्तुत कर, निगरानी सारहीन होने से निरस्त किया जाकर, अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया है ।

5/ उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया, जिसमें यह प्रकट होता है कि विवादित आराजी के भूमिस्वामी रामकुमार थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है तथा इनकी मृत्यु के पश्चात वारिसाना नामांतरण आदेश आवेदकगण के पक्ष में पारित किया गया लेकिन मृतक रामकुमार की पुत्रियां अनावेदक क्र0 4 व 5 जयलली एवं रामलली जो जीवित है को न तो पक्षकार बनाया गया और न ही अपना हिस्सा परित्याग के संबंध में कोई दस्तावेज ही पेश किया गया । जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार मृतक की सम्पत्ति पर पुत्रियों का समान अधिकार होता है । ऐसी स्थिती में अनुविभागीय अधिकारी, त्योंथर के द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधिसम्मत है, इसकी पुष्टि अपर आयुक्त रीवा ने भी अपने विस्तृत आदेश में की है।

6/ मेरे मतानुसार अपर आयुक्त रीवा ने अनुविभागीय अधिकारी, त्योंथर के आदेश को स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की है । अतः अपर आयुक्त रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.09.2006 यथावत रखा जाता है। फलतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य